राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	732/2022 अशोक बनाम गणेशराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष ने दिनांक 28/04/2025 एवं दिनांक 17/06/2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अपील स्वीकार किये जाने की और हमारा ध्यान आकर्षित कराते हुये निवेदन किया कि रेस्पो. व अपीलार्थी अशोक पुत्र भौरीलाल के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है तथा राजीनामे अनुसार पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नही रहा है, इसलिये पक्षकारान सहमत है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार करते हुये विवादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुन: सही रूप से एवं समुचित रूप से विभाजन किया जाकर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाते हुये समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में पुन: विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित किये जाने के निर्देश के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। चूँकि सभी पक्षकारान ने सहमति जाहिर कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पुन: निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने की ईस्तदुआ की गयी है। अत: प्रकरण का गुणावगुण पर परिक्षण किये बगैर ही मात्र उभयपक्षों की सहमति के आधार पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है। अत: न्यायहित में उभयपक्षों की सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27/06/2011 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दिनांक 17/11/2025 उभयपक्षों की उपस्थिति में उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुन: विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्षों को जरिये अधिवक्ता यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17/11/2025 को उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय जयपुर